UPMA010030922024

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–1, मऊ।

उपस्थितः– प्रीति सिंह–I (एच 0 जे0 एस 0)

(ID No.–UP5997)

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–203/2024

अजहर अहमद उम्र लगभग 31 वर्ष कमालुद्दीन

साकिन–फतहपुर मंडाव, थाना–रामपुर, जनपद–मऊ

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

.....

.विपक्षी

निर्णय

(1) वर्तमान दाण्डिक प्रकीर्ण वाद, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा दाण्डिक वाद सं० 517/2024 अजहर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांकि 30.05.2024 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है, जिसमें आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 4 क निरस्त कर दिया गया।

(2) आवेदक द्वारा विद्वान अवर न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक द्वारा अपने खाते से साईबर क्राईम गैंग को धोखे से पैसे भेज दिये, जिसकी जानकारी होने पर तुरन्त उसने साईबर क्राईम ब्रांच पोर्टल पर शिकायत की गयी तो दिनांक 13.05.2024 को ही 10,000/–रु० व 9,000/–रु० उक्त ब्रांच द्वारा होल्ड कर लिया गया, जिसका मैसेज प्रार्थी के मोबाइल पर उसी दिन प्राप्त है। इस प्रकार उक्त होल्ड धनराशी थाना रामपुर, जनपद मऊ में होल्ड किया गया है, जो प्रार्थी को मिलना न्यायहित अति आवश्यक है। उपर्युक्त कथन करते हुये उक्त होल्ड धनराशि मु० 19,000/–रु० अवमुक्त करने हेतु थानाध्यक्ष रामपुर, मऊ को निर्देशित किये जाने की याचना की गयी है।

(3) विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांकित 30.05.2024 जिसके माध्यम से आवेदक का उक्त अवमुक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया।

(4) विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध यह दाण्डिक प्रकीर्ण मुख्य रूप से इस आधार पर योजित की गयी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश नियम विरुद्ध है एवं अपने क्षेत्राधिकार से बाहर

जाकर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक के साथ फ्राड होने पर उसके द्वारा शिकायत करने के पश्चात खाते में कुल 19,000/–रु० होल्ड किया गया, जिसके संबन्ध में थाना आख्या में भी उल्लेख किया गया है, उसके बावजूद भी अवर न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करके घोर गलती की गयी है और इन बिन्दुओं पर ध्यान दिये बिना प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है, जो स्थिर रहने योग्य नही है। उपर्युक्त कथन करते हुए विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30.05.2024 निरस्त करने की याचना करते हुए प्रश्नगत होल्ड धनराशि को अवमुक्त करने की प्रार्थना की गयी है।

(5) उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को पूर्व में सुना जा चुकी है। ऐसी स्थिति में आहूत पत्रावली एवं प्रस्तुत समस्त सुसंगत प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

(6) पत्रावली के परिशीलन से परिलक्षित है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा विद्वान अवर न्यायालय में थाना रामपुर, मऊ द्वारा होल्ड की गयी धनराशि 19,000/–रु० को अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र 5क, आधार कार्ड, यूनियन बैंक आफ इण्डिया का पासबुक, फोन–पे से भेजे गये पैसों के विवरण एवं मोबाइल पर प्राप्त मैसेज की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है।

(7) इस क्रम में थाना रामपुर, जनपद मऊ से प्राप्त आख्या प्रपत्र सं० 6क के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक अजहर अहमद के खाता सं० 658102010008936 यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा नन्दौर, थाना मधुबन, मऊ के खाते से दिनांक 13.05.2024 को विभिन्न खाता संख्या में कुल 40,000/–रु० भेजा गया था, जिसके संबन्ध में आवेदक द्वारा 1930 हेल्पलाईन नम्बर पर विवरण दर्ज कराकर शिकायत की गयी, जिसका शिकायत सं० 33105240059517 है। उक्त शिकायत के आधार पर कुल 19,000/– रुपये ट्रांसफर किये गये खाते में व विभिन्न द्वितीय प्रार्टी के खाते में होल्ड किया गया है।

(8) इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा भेजे गये पैसे में से मु० 19,000/– रुपये होल्ड किया गया है, जिसे इस स्तर पर नियमानुसार अवमुक्त किया जाना विधिसंगत प्रतीत होता है।

(9) अस्तु उपर्युक्त सम्प्रेक्षण के प्रकाश में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30.05.2024 विधियुक्त न होने के फलस्वरूप अपास्त किये जाने योग्य है। तदनुसार प्रस्तुत दाण्डिक प्रकीर्ण वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

(10) उपर्युक्तानुसार, आवेदक द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक प्रकीर्ण वाद स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.05.2024 अपास्त किया जाता है।

(11) विद्वान अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय में उल्लिखित सम्प्रेक्षण के प्रकाश में पुनः आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

(12) आहूत पत्रावली इस निर्णय की प्रति के साथ संबन्धित विद्वान अवर न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित हो।

दिनांक–03.07.2025

(प्रीति सिंह–I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–1, मऊ।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–03.07.2025

(प्रीति सिंह–I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–1, मऊ।

Digitally signed by PRITI SINGH
Date: 2025.07.03 17:00:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court